प्राथमिकता

संख्या–1223/नौ–9–2016–89ज/01

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 2016

विषय– वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि से नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रखरखाव हेतु सम्बन्धित निकायों के अंश की रोकी गयी धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–8/217/41/एस.टी.पी./2014–15 दिनांक 24.08.16 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नागर निकायों को संक्रमित धनराशि में से नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एस.टी.पी. व सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख रखाव तथा विद्युत देयकों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में रोकी गयी धनराशि रू0 2,45,55,31,250/– संबंधित निकायों को अन्तरित किये जाने के आदेश निर्गत किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नागर निकायों को संक्रमित धनराशि में से सम्यक विचारोपरान्त नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एस0टी0पी0 व सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख रखाव तथा विद्युत देयकों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में रोकी गयी उक्त धनराशि रू0 2,45,55,31,250/- (रू0 दो अरब पैतालीस करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार दो सौ पचास मात्र) निम्न तालिका के अनुसार उ0प्र0 जल निगम को अंतरित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है:–

कं	निकाय का नाम	एस.टी.पी. के संचालन व रख रखाव हेतु वर्ष 2016–17 हेतु स्वीकृत धनराशि
1.	आगरा	29,89,25,600/–
2.	इलाहाबाद	35,21,51,950/–
3.	कानपुर	41,58,00,050/–
4.	वाराणसी	22,84,87,300/–
5.	इटावा	01,97,77,700/–

6.	फर्रुखाबाद	01,21,03,150 / –
7.	मिर्जापुर	05,38,16,100 / –
8.	सुल्तानपुर	02,26,87,600 / –
9.	लखनऊ	1,05,17,81,800 / –
	योग	2,45,55,31,250 / -

(रू0 दो अरब पैतालीस करोड़ पचपन लाख इकतीस हजार दो सौ पचास मात्र)

3. कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा शासनादेश संख्या 1358/9–9–12–89ज/2001 दिनांक 21 जुलाई, 2012 में दिये गये निर्देशानुसार नदी प्रदूषण कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की प्रगति की आख्या शासन को यथासमय उपलब्ध कराई जाय।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. जिलाधिकारी, आगरा/इलाहाबाद/कानपुर/वाराणसी/इटावा/फर्रूखाबाद/मिर्जापुर / सुलतानपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा/इलाहाबाद/कानपुर/वाराणसी ।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद,/इटावा/फर्रूखाबाद/मिर्जापुर/सुलतानपुर ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।
8. वेब मास्टर को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।